



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 24 जून, 2025 / 03 आषाढ़, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

**ENVIRONMENT, SCIENCE TECHNOLOGY & CLIMATE CHANGE
DEPARTMENT**

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th May, 2025

No. STE-E (3)-7/2021.—WHEREAS, the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, *vide* order dated 21-10-2022 passed in M.A. No. 74/2022 in Original Application 62—राजपत्र / 2025—24—06—2025 (3011)

No. 976/2019 titled *Gurinder Singh & Others vs. Union of India & Others*, has directed that Environmental Compensation (EC) funds recovered by State Pollution Control Boards and other regulatory authorities be duly and effectively utilised for environmental restoration in accordance with structured and transparent mechanisms;

2. WHEREAS, the said order mandates that the process of planning and execution for utilisation of such funds be entrusted to a High Powered Committee under the supervision of the Chief Secretary, comprising senior functionaries of the State Government, and that the action plans so prepared be consistent with the State and District Environment Plans, and progress be reviewed and made public periodically;

3. WHEREAS, the effective deployment of Environmental Compensation funds is also aligned with the mandate of the **Environment (Protection) Act, 1986**, particularly Section 3(3), which empowers the State to take appropriate measures for the protection and improvement of the environment, as well as with the advisories and guidelines issued by the **Central Pollution Control Board (CPCB)**, including those on the utilisation of EC funds based on the “polluter pays” principle;

4. NOW, THEREFORE, in compliance with the above directions and in exercise of the powers conferred under Section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 and all other enabling provisions, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a **High Powered Committee** to oversee and guide the efficient and judicious utilisation of Environmental Compensation funds available with the Himachal Pradesh State Pollution Control Board, The State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) and Department of Environment, Science Technologies & Climate Change. The composition of the Committee shall be as follows:—

Sl. No.	Name & Designation	
1.	Chief Secretary	<i>Chairperson</i>
2.	ACS/Pr. Secy./Secretary (Forests)	<i>Member</i>
3.	ACS/Pr. Secy./Secretary (Jal Shakti Vibhag)	<i>Member</i>
4.	ACS/Pr. Secy./Secretary (Environment)	<i>Member</i>
5.	ACS/Pr. Secy./Secretary (Rural Development)	<i>Member</i>
6.	ACS/Pr. Secy./Secretary (Urban Development)	<i>Member</i>
7.	Member-Secretary, H.P. State Pollution Control Board.	<i>Member</i>
8.	Director, Department of Environment, Science Technology & Climate Change.	<i>Member-Secretary/ Convener</i>

5. The Committee shall ensure that the EC funds are utilised strictly for environmental protection and restoration works in line with the guidelines issued by the Hon’ble NGT and CPCB. The indicative areas for utilisation include but are not limited to the following:

- (a) Development and up-gradation of real-time and satellite-based infrastructure for air, water and noise quality surveillance and monitoring across the State.
- (b) Preparing clear guidelines for different industries to reduce pollution by using cleaner and more environment-friendly technologies.

- (c) Remediation of contaminated sites and legacy waste sites, including restoration, plantation and hiring of domain experts.
- (d) Scientific studies and investigations related to environmental damage, carrying capacity assessments and DPR preparation.
- (e) Research and development of clean, sustainable technologies and processes.
- (f) Restoration of areas damaged by mining activities, including cleaning up polluted sites, replanting trees and repairing the surrounding environment.
- (g) Capacity building and skill enhancement of the scientific and technical personnel of the HP State Pollution Control Board.
- (h) Compliance-related services, including honorarium and support to institutions or personnel involved in execution of judicial orders.
- (i) Specialized studies on accidental spill sites, persistent pollutants and emerging environmental challenges.
- (j) Information, Education and Communication (IEC) campaigns for environmental awareness.
- (k) Support to Rural and Urban Local Bodies (RLBs/ULBs) for strengthening waste management systems, improving sanitation and augmenting environment-related infrastructure and public services.
- (l) Any other scientific or technical intervention in the interest of environmental protection and ecological sustainability.

6. The Committee shall meet at regular intervals to assess progress, approve proposals and ensure accountability. The status of utilisation of funds and implementation of approved projects shall be submitted to this Department for further uploading the same on the State Government's portal every six months for public disclosure.

By order,
Sd/-
(PRABODH SAXENA, IAS),
Chief Secretary.

**कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि० प्र०)**

श्री प्रताप चन्द पुत्र सन्त राम, निवासी टीका बकन्यार, डाकघर भटेड, तहसील बमसन स्थित टौणी
देवी, जिला हमीरपुर (हि०प्र०) प्रार्थी।

आम जनता

प्रतिवादी ।

विषय.—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST-Birth & Death) Delayed 2024 / 1-9523, दिनांक 24-04-2025 के अनुसार श्री प्रताप चन्द्र पुत्र सन्त राम, निवासी टीका बकन्यार, डाकघर भटेड, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 03-01-1967 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत भटेड के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 03-01-1967 को दर्ज न हो सका। प्रार्थी अब उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत भटेड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री प्रताप चन्द्र पुत्र सन्त राम, निवासी टीका बकन्यार, डाकघर भटेड, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 03-01-1967 को ग्राम पंचायत भटेड के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-06-2025 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 06-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

श्रीमती उपदेश पुत्री रण सिंह, निवासी टीका सुराह, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2024 / 2-11778, दिनांक 21-05-2025 के अनुसार श्रीमती उपदेश पुत्री रण सिंह, निवासी टीका सुराह,, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 03-08-1982 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत पौंहज के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 03-08-1982 को दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पौंहज में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती उपदेश पुत्री रण सिंह, निवासी टीका सुराह, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 03-08-1982

को ग्राम पंचायत पौंहज के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-06-2025 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 06-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि०प्र०)।

**कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि० प्र०)**

श्री कमलेश कुमार पुत्र शंकर दास, निवासी टीका खनसन, डाकघर समीरपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि०प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST-Birth & Death) Delayed 2024 / 1-11973, दिनांक 23-05-2025 के अनुसार श्री कमलेश कुमार पुत्र शंकर दास, निवासी टीका खनसन, डाकघर समीरपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि० प्र०) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 10-02-1964 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत समीरपुर के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 10-02-1964 को दर्ज न हो सका। प्रार्थी अब उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत समीरपुर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री कमलेश कुमार पुत्र शंकर दास, निवासी टीका खनसन, डाकघर समीरपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि०प्र०) की जन्म तिथि 10-02-1964 को ग्राम पंचायत समीरपुर के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-06-2025 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 06-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि०प्र०)।

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

श्रीमती संध्या देवी पुत्री लटुरिया, निवासी टीका दिम्मी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला
हमीरपुर (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2024 / 1-12116, दिनांक 26-05-2025 के अनुसार श्रीमती संध्या देवी पुत्री लटुरिया, निवासी टीका दिम्मी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 10-12-1952 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत दिम्मी के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 10-12-1952 को दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत दिम्मी में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती संध्या देवी पुत्री लटुरिया, निवासी टीका दिम्मी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 10-12-1952 को ग्राम पंचायत दिम्मी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-06-2025 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 06-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर
26 / NT / 2025

किस्म मुकद्दमा
जन्म तिथि पंजीकरण

तारीख दायर
12-06-2025

तारीख पेशी
08-07-2025

श्री सतपाल पुत्र रतन चन्द, वासी मोहाल टिक्कर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण श्री सतपाल पुत्र रतन चन्द, वासी मोहाल टिक्कर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि०प्र०)।

प्रार्थना—पत्र बराये जन्म पंजीकरण श्री सतपाल पुत्र रतन चन्द, वासी मोहाल टिक्कर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि०प्र०) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 14-05-1968 को ग्राम पंचायत डेरा में हुआ था तथा सहवन गलती से ग्राम पंचायत डेरा में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत डेरा में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 08-07-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 12-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

मिसल नम्बर 25 / NT / 2025	किरम मुकद्दमा जन्म तिथि पंजीकरण	तारीख दायर 12-06-2025	तारीख पेशी 08-07-2025
------------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------

सुश्री आशा रानी पुत्री बली राम, वासी मोहाल मियाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि०प्र०) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण सुश्री आशा रानी पुत्री बली राम, वासी मोहाल मियाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि०प्र०)।

प्रार्थना—पत्र बराये जन्म पंजीकरण सुश्री आशा रानी पुत्री बली राम, वासी मोहाल मियाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि०प्र०) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 06-12-1962 को ग्राम पंचायत दाडला में हुआ था तथा सहवन गलती से ग्राम पंचायत दाडला में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत दाडला में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 08-07-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 12-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

मिसल नम्बर
33 / T/2025

किरम मुकदमा
नाम दुरुस्ती

तारीख दायर
11-04-2025

तारीख पेशी
07-07-2025

श्री प्रशोतम दास पुत्र दीवान चन्द, वासी मोहाल भलाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि०प्र०)
वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती under section 37 (1) 1954 प्रार्थी श्री प्रशोतम दास पुत्र दीवान चन्द, वासी मोहाल भलाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि०प्र०)।

प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री प्रशोतम दास पुत्र दीवान चन्द, वासी मोहाल भलाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि०प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख वाक्या मोहाल भलाणा में दीवाना पुत्र बलन्दू दर्ज है जबकि उसका सही नाम दीवान चन्द पुत्र बलन्दू है। लिहाजा इसे मोहाल भलाणा के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करके दीवाना उर्फ दीवान चन्द पुत्र बलन्दू किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 07-07-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपरिथित होकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 17-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकदमा : इन्द्राज जन्म तिथि

पेशी : 24-06-2025

श्रीमती रेखा देवी पुत्री चुनी लाल, निवासी गांव व डाठ दरगेला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण—पत्र लेने बारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त मुकदमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 26-07-1962 को गांव दरगेला, तहसील शाहपुर में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश जन्मतिथि ग्राम पंचायत दरगेला के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना—पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत दरगेला के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-06-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री प्रेम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सराहन, जिला शिमला (हि०प्र०)

नं० मुकदमा : 70 / 2025

तारीख दायर : 22-05-2025

अगली सुनवाई : 28-05-2025

श्री हरदयाल पुत्र स्व० श्री लुदर नाथ, निवासी गांव व डाकघर सराहन, उप—तहसील सराहन, जिला शिमला, हि० प्र०

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकदमा : नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी श्री हरदयाल पुत्र स्व० श्री लुदर नाथ, निवासी गांव व डाकघर सराहन, उप—तहसील सराहन, जिला शिमला, हि० प्र० ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया कि पटवार वृत्त त्यावल के राजस्व महाल धराली, उप—तहसील सराहन के अभिलेख, पैन कार्ड व वोटर कार्ड में उसके पिता का नाम लुदर नाथ दर्ज है जोकि सही है। जबकि ग्राम पंचायत सराहन के अभिलेख व आधार कार्ड में उसके पिता का नाम डोफरू दर्ज है। इसलिए कुछ एक दस्तावेजों में अलग—अलग नाम होने का कारण उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी ने आग्रह किया कि ग्राम पंचायत सराहन के अभिलेख में उसके पिता का नाम डोफरू के स्थान पर लुदर नाथ दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र हि०प्र० व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में अगर किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-06-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालतत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 09—06—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(प्रेम सिंह),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सराहन, जिला शिमला (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री प्रेम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सराहन, जिला शिमला (हि०प्र०)

नं० मुकद्दमा : 73 / 2025

तारीख दायर : 22—05—2025

अगली सुनवाई : 25—06—2025

श्रीमती बिमला देवी पुत्री लक्ष्मी दास हालावाद पत्नी नारायण चन्द, निवासी गांव कठमी, डाकघर बौंडा,
उप—तहसील सराहन, जिला शिमला, हि० प्र० वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

श्रीमती बिमला देवी पुत्री लक्ष्मी दास हालावाद पत्नी नारायण चन्द, निवासी गांव कठमी, डाकघर बौंडा,
उप—तहसील सराहन, जिला शिमला, हि० प्र० ने इस कार्यालय में अपना नाम दुरुस्ती करवाने बारे
आवेदन—पत्र व व्यान हल्की दिया है। प्रार्थिया ने आवेदन किया कि आधार कार्ड, बैंक पास बुक व अन्य
दस्तावेजों में उसका नाम बिमला देवी है जोकि सही है परन्तु ग्राम पंचायत बौंडा के अभिलेख में अतरु उर्फ
बिमला देवी दर्ज है। अतः प्रार्थिया ने आग्रह किया कि उसका नाम ग्राम पंचायत बौंडा के अभिलेख में अतरु
उर्फ बिमला देवी के स्थान पर बिमला देवी दर्ज करने बारे आदेश किए जायें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अतरु उर्फ बिमला देवी के स्थान
पर बिमला देवी नाम दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक
25—06—2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज
पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 09—06—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(प्रेम सिंह),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सराहन, जिला शिमला (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री प्रेम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सराहन, जिला शिमला (हि०प्र०)

नं० मुकद्दमा : 75 / 2025

तारीख दायर : 22—05—2025

अगली सुनवाई : 25—06—2025

श्रीमती इश्वरी देवी पुत्री राम देव हालावाद पत्नी श्री प्यारे लाल, निवासी गांव धराली, डाकघर ज्यूरी,
उप—तहसील सराहन, जिला शिमला, हि० प्र० वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी ।

विषय.—प्रार्थना—पत्र बाबत ग्राम पंचायत सराहन में जन्म तिथि पंजीकरण बारे।

लीला देवी पुत्री गान्टू हालाबाद पत्नी श्री धनी राम, गांव बधाल, डाकघर ज्यूरी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, हिमोप्र० ने इस कार्यालय में अपनी जन्म तिथि पंजीकरण ग्राम पंचायत सराहन में दर्ज करवाने बारे आवेदन—पत्र व व्यान हल्फी दिया है। प्रार्थिया ने आवेदन किया कि अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण पंचायत अभिलेख सराहन में दर्ज न हो सका। प्रार्थिया की जन्म तिथि निम्न है:—

क्रम सं०	प्रार्थिया का नाम	तारीख जन्म
1.	इश्वरी देवी पुत्री राम देव	06-08-1969

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अभिलेख में प्रार्थिया की जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-06-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 09-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(प्रेम सिंह),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सराहन, जिला शिमला (हिमोप्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्ल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

सरीता चौहान पुत्री श्री ध्यान सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर कठासू तहसील जुब्ल, जिला शिमला (हिमोप्र०) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में सरीता चौहान पुत्री श्री ध्यान सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर कठासू तहसील जुब्ल, जिला शिमला (हिमोप्र०) प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवदेन किया है कि अज्ञानता एवं किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कठासू के अभिलेख में दर्ज न है जिसके कारण प्रार्थिया को आयु का प्रमाण—पत्र जारी नहीं हो पा रहा है इसलिए सम्बन्धित पंचायत को जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएं।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपर्युक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि 10-02-1973 का इन्द्राज ग्राम पंचायत कठासू में दर्ज करने बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 03-07-2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर होकर अपना लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई भी उजर व एतराज प्रस्तुत न हुआ तो यह समझा जाएगा।

3022

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2025 / 03 आषाढ़, 1947

कि प्रार्थिया की जन्म तिथि पंजीकरण हेतु किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा ग्राम पंचायत कठासू को जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित किए जावेंगे।

आज दिनांक 03-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जुब्बल, जिला शिमला (हि० प्र०)।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate Sundernagar,
District Mandi, H.P.**

In the Matter of:

1. Dile Ram s/o Sh. Katku, r/o Salwana, P.O. Salwana., Tehsil Sundernagar Distt. Mandi H.P. (Age-49 Years)

2. Shauni Devi Wd/o Sh. Lal Dass, r/o Village Nunurbahli, P.O. Ropa (Sachen), District Kullu, H.P. at Present w/o Dile Ram s/o Sh. Katku, r/o Salwana P.O. Salwana, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi H.P. (Age-47 Years) ..Applicants.

Versus

General Public

..Respondent.

Subject.—Application for registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act.

Dile Ram & Shauni Devi have filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they want to solemnize their marriage according to Hindu Rites and ceremonies.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-06-2025 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 27-05-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-SDM,
Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.)*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate Sundernagar,
District Mandi, H.P.**

In the Matter of:

1. Preeti Sen d/o Sh. Harsh Vir Sen, r/o Village Pungh P.O. Sundernagar-1. Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P. Dile Ram s/o Sh. Katku, r/o Salwana, P.O. Salwana, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi, H.P. at present w/o Sundeep Shivadas s/o Sh. Shivadas KK, r/o Village A4, Ashish Cooperative Society, Sai Baba Nagar, Borawali, above Roshni wines, Mumbai Suburban, Maharashtra.

2. Sundeep Shivadas S/o Sh. Shivadas KK, r/o Village A4, Ashish Cooperative Society, Sai Baba Nagar, Borawali, above Roshni wines, Mumbai Suburban Maharashtra. (Age-45 Years)

..Applicants.

Versus

General Public

..Respondent.

Subject.—Application for registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act.

Preeti Sen and Sundeep have filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage according to Hindu Rites and ceremonies on dated 08-03-2024 and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 07-07-2025 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today 04-06-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
*Marriage Officer-cum-SDM,
Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.)*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate Sundernagar,
District Mandi, H.P.**

In the Matter of:

1. Smt. Amrit Kaur d/o Sh. Kuldeep Singh, r/o No. D-165 pocket-D Dilshad Garden, Delhi-110 096 at present r/o H. No. 255/9, Village & Post Office Bhojpur, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi, H.P. (Age-46 Years)

2. Sh. Gurvinder Singh s/o Sh. Satpal Singh, r/o H. No. 255/9, Village & Post Office Bhojpur, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi, H.P. (Age-47 Years) ..Applicants.

Versus

General Public.*Respondent.*

Subject.—Application for registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act.

Amrit Kaur and Gurvinder Singh have filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage according to Hindu Rites and ceremonies (according to Namdhari Sikh tradition) on dated 09-03-2004 and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 17-07-2025 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 16-06-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-SDM,
Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.)

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate Sundernagar,
District Mandi, H.P.**

In the Matter of:

1. Sh. Raj Kumar Thakur s/o Sh. Karam Singh, r/o H.No. 256/1 Haripur, P.O. Chatrokhari, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi, H.P. (Age-54 Years)

2. Smt. Veena Devi d/o Late Sh. Biri Singh, r/o Village Dhangu, P.O. Ratti, Tehsil Balh. District Mandi, H.P. at present w/o Sh. Raj Kumar Thakur s/o Sh. Karam Singh, r/o H.No. 256/1 Haripur, P.O. Chatrokhari, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi H.P. (Age-54 Years) ..Applicants.

Versus

General Public*Respondent.*

Subject.—Application for registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act.

Raj Kumar Thakur and Veena Devi have filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized

their marriage according to Hindu Rites and ceremonies on dated 16-11-1996 and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 07-07-2025 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 04-06-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
*Marriage Officer-cum-SDM,
Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.)*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,
Distt.Mandi H.P.**

In the matter of:

1. Sh. Girdhari Lal s/o Sh. Bhagat Ram, r/o Village Dhanwas, P.O. Brikhmani, Tehsil Balh Distt. Mandi, H.P.

2. Smt. Banti Devi d/o Sh.Sant Ram, r/o Village Tanda, P.O. Balt, Tehsil Balh, Distt. Mandi, H.P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act 1954.

Sh. Girdhari Lal s/o Sh. Bhagat Ram, r/o Village Dhanwas, P.O. Brikhmani, Tehsil Balh Distt. Mandi, H.P. and Smt. Banti Devi d/o Sh.Sant Ram, r/o Village Tanda, P.O. Balt, Tehsil Balh, Distt. Mandi, H.P. at present wife of Sh. Girdhari Lal s/o Sh. Bhagat Ram, r/o Village Dhanwas, P.O. Brikhmani, Tehsil Balh Distt. Mandi, H.P. under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 25-03-2024 according to Hindu rites and customs at Shri Dev Bala Tika Baniuri, Tehsil Chachyot, Distt. Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person, who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 09-07-2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 10-06-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate
Balh, Distt. Mandi, H.P.*

ब अदालत श्री सुरेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, ददाहू, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 10 / P / 2025

तारीख पेशी : 01-07-2025

जेर धारा 123 राजस्व भू अधिनियम, 1954.

श्रीमती शारदा देवी पुत्री श्री सूरत सिंह, निवासी गांव ठाकुर कुजुवाला, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर
(हि०प्र०) वादी।

बनाम

श्री प्रेम लाल पुत्र श्री किशन चन्द, निवासी गांव ठाकुर कुजुवाला, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर
(हि०प्र०) आदि

दरख्वास्त तकसीम बाबत खाता 18 मिन, खतौनी 29, खसरा नं० 64, 65, कित्ता 02, रकबा तदादी
10-19-00 बीघा, मौजा ठाकुर कुजुवाला, तहसील ददाहू।

सायल उपरोक्त ने अदालत हजा में दरख्वास्त तकसीम बाबत खाता 18 मिन, खतौनी 29, खसरा नं० 64, 65, कित्ता 02, रकबा तदादी 10-19-00 बीघा, मौजा ठाकुर कुजुवाला, तहसील ददाहू गुजारी है। मिसल में तकसीम हेतु सभी मालकानों की सहमति/एतराज की सुनवाई हेतु शेष है। मिसल में मालकानों की संख्या अधिक होने के कारण कुछ मालकान को समनात की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः प्रेमपाल पुत्र श्री किशनचंद, श्रीमती रीना देवी पुत्री श्री किशनचंद, श्रीमती दीना देवी पत्नी श्री किशनचंद, श्रीमती सुनीता कुमारी पुत्री श्री राजेंदर प्रकाश, श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री राजेंदर प्रकाश, आदित्य पुत्र श्री सतपाल, प्रियंका पुत्री श्री सतपाल, श्रीमती कुसुमलता पत्नी श्री सतपाल, सुनील कुमार पुत्र श्री रणजीत सिंह, आरुणपाल पुत्र श्री रणजीत सिंह, निवासीगण गांव ठाकुर कुजुवाला, डा० भरोग बनेडी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

उपरोक्त सभी निवासीगण व उपरोक्त के सगे सम्बन्धी या आम जनता को इस उद्घोषणा के माध्यम से अंतिम अवसर प्रदान करते हुए सूचित किया जाता है कि उनवान मुकदमा में तारीख पेशी दिनांक 01-07-2025 को समय बवक्त 11.00 बजे मुकर्र की गई है। अगर कोई उक्त मुकदमा तकसीम में कोई किसी भी प्रकार की आपत्ति/एतराज में पेरवी करना चाहे तो वह दिनांक 01-07-2025 को प्रातः 11.00 बजे तहसील कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर असालतन/वकालतन पेरवी मुकदमा कर सकते हैं बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी व मिसल में मौका पर हुई तकसीम को स्वीकार कर अंतिम आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 02-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
ददाहू, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री सुरेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, ददाहू, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 01 / 9 of 2023

तारीख पेशी : 01-07-2025

जेर धारा 123 राजस्व भू अधिनियम, 1954.

श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री ब्यास देव, निवासी गांव कांडो हरयास, डा० भाटगढ़, तहसील ददाहू जिला सिरमौर (हि०प्र०) वादी।

बनाम

श्री चेत सिंह पुत्र श्री बुध सिंह, निवासी गांव कांडो हरयास, डा० भाटगढ़, तहसील ददाहू जिला सिरमौर (हि०प्र०) आदि प्रतिवादी।

दरख्खास्त तकसीम बाबत खाता 45, खतौनी 96 से 98, कित्ता 18, रकबा तदादी 119-05-00 बीघा, मौजा कांडो हरयास, तहसील ददाहू।

सायल उपरोक्त ने अदालत हजा में दरख्खास्त तकसीम बाबत खाता 45, खतौनी 96 से 98, कित्ता 18, रकबा तदादी 119-05-00 बीघा, मौजा कांडो हरयास, तहसील ददाहू गुजारी है। मिसल में तकसीम हेतु सभी मालकानों की सहमति / एतराज की सुनवाई हेतु शेष है। मिसल में मालकानों की संख्या अधिक होने के कारण कुछ मालकान को समनात की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः चेत सिंह पुत्र श्री बुध सिंह, गुमान सिंह पुत्र श्री बुध सिंह, रुक्मी पुत्री श्री बुध सिंह, मांगी पुत्री श्री बुध सिंह, मित्र सिंह पुत्र श्री तुलसी राम, विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री ब्यास देव, राजू पुत्र श्री किकरी, सूर्या पुत्र श्री किकरी, कुदन सिंह पुत्र खोखू बुध सिंह पुत्र ताडिया, लायक राम पुत्र श्री चान्दनु, कल्याण सिंह पुत्र श्री बुध सिंह, निवासीगण गांव कांडो हरयास, डा० भाटगढ़, तहसील ददाहू जिला सिरमौर, आत्मा राम पुत्र बली राम, निवासी नेर बगग, डा० रजाना, तहसील संगडाह, जिला सिरमौर, अजय कुमार पुत्र श्री श्याम लाल, पूनम पत्नी श्री अजय कुमार, निवासीगण गांव व डा० ददाहू तहसील ददाहू नैन सिंह पुत्र दया राम, शान्ति देवी पुत्री श्री दया राम, रेहनो पुत्री श्री दया राम, निवासीगण गांव छोऊ भोगर कोटि धीमान, तहसील ददाहू व अर्जुन पुत्र श्री प्रदीप कुमार, निवासी गांव साबन बलाना, जिला सोलन (हि०प्र०)।

उपरोक्त सभी निवासीगण व उपरोक्त के सगे सम्बन्धी या आम जनता को इस उद्घोषणा के माध्यम से अंतिम अवसर प्रदान करते हुए सूचित किया जाता है कि उनवान मुकदमा में तारीख पेशी दिनांक 01-07-2025 को समय बवक्त 11.00 बजे मुकर्रर की गई है। अगर कोई उक्त मुकदमा तकसीम में कोई किसी भी प्रकार की आपत्ति / एतराज में पेरवी करना चाहे तो वह दिनांक 01-07-2025 को प्रातः 11.00 बजे तहसील कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर असालतन / वकालतन पेरवी मुकदमा कर सकते हैं बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी व मिसल में मौका पर हुई तकसीम को स्वीकार कर अंतिम आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 02-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
ददाहू जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

समक्ष श्री सुरेश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, ददाहू
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 06 / 13(3) of 2024

तारीख मजरुआ : 19-05-2025

तारीख पेशी : 03-06-2025

प्रार्थिया श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री श्री शेर जंग, निवासी गांव छोड़ कल्यारी, डा० थाना कशोगा, पंचायत बिरला, तहसील ददाहू जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बरुये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3).

प्रार्थिया श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री श्री शेर जंग, निवासी गांव छोड़ कल्यारी, डा० थाना कशोगा, पंचायत बिरला, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरख्वास्त गुजार कर दावा किया है कि प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 01-07-1969 ग्राम पंचायत बिरला में दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया का जन्म ग्राम पंचायत बिरला में घर पर ही हुआ था, लेकिन वह लापरवाही व अज्ञानता के कारण आज तक अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत बिरला में दर्ज न करवा सकी जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज मौजुदा मामले में प्रार्थिया के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थिया के सभी सगे सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त दुरुस्ती मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 09-07-2025 को कार्यकारी दण्डाधिकारी ददाहू के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें। अन्यथा मामले में एकत्रफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 09-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
ददाहू, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत श्रीमती निशा आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ,
जिला सिरमौर (हि०प्र०)

केस नं० : 15/2025

दायर तिथि : 09-06-2025

रणदीप सिंह पुत्र जालम सिंह, निवासी ग्राम कियाणा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी रणदीप सिंह पुत्र जालम सिंह, निवासी ग्राम कियाणा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि०प्र०) का एक आवेदन—पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एच०एफ०डब्ल्यू०-एन०/एस०टी०/बी० एण्ड डी०/डिलेय केसिस/2025-1246 दिनांक 09-06-2025 के द्वारा अनुलग्नों सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसके पुत्र का नाम प्रवीण कुमार पुत्र रणदीप सिंह एवं जन्म तिथि 02-03-2009 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कोटा पाब के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-07-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन आकर दर्ज करवा सकता है निर्धारित तिथि या इससे

पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना—पत्र रणदीप सिंह पुत्र जालम सिंह, निवासी ग्राम कियाणा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि०प्र०) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 09—06—2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

**ब अदालत श्रीमती निशा आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ,
जिला सिरमौर (हि०प्र०)**

केस नं० : 16/2025

दायर तिथि : 09—06—2025

बाबू राम पुत्र दया राम, निवासी ग्राम कियाणा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी बाबू राम पुत्र दया राम, निवासी ग्राम कियाणा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि०प्र०) का एक आवेदन—पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एच०एफ०डब्ल्यू०—एन०/एस०टी०/बी० एण्ड डी०/डिलेय कॉसिस/2025—1247 दिनांक 09—06—2025 के द्वारा अनुलग्नों सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसकी पुत्री का नाम गरीमा शर्मा पुत्री बाबू राम एवं जन्म तिथि 29—01—2012 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कोटा पाब के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10—07—2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा रिथ्त कमरऊ में असालतन या वकालतन आकर दर्ज करवा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना—पत्र बाबू राम पुत्र दया राम, निवासी ग्राम कियाणा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि०प्र०) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 09—06—2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

3030

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जून, 2025 / 03 आषाढ़, 1947

ब अदालत श्रीमती निशा आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ,
जिला सिरमौर (हि०प्र०)

केस नं० : 17 / 2025

दायर तिथि : 09—06—2025

बाबू राम पुत्र दया राम, निवासी ग्राम कियाणा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी बाबू राम पुत्र दया राम, निवासी ग्राम कियाणा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि०प्र०) का एक आवेदन—पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एच०एफ०डब्ल्य०—एन०/एस०टी०/बी० एण्ड डी०/डिलेय केसिस/2025—1248 दिनांक 09—06—2025 के द्वारा अनुलग्नों सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसकी पुत्री का नाम मानवी शर्मा पुत्री बाबू राम एवं जन्म तिथि 28—06—2013 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कोटा पाब के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे अगर किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10—07—2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य—दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन आकर दर्ज करवा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना बाबू राम पुत्र दया राम, निवासी ग्राम कियाणा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि०प्र०) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 09—06—2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
कमरऊ, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

समक्ष श्री नवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह,
जिला सिरमौर (हि०प्र०)

मिसल नं० :-14 / 2025

तारीख पेशी : 15—07—2025

श्रीमती लीला देवी पत्नी स्व० श्री सनिया पुत्र सुन्दर सिंह, निवासी गांव अरट, डाकघर सैंज, ग्राम पंचायत शिवपुर, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय:—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना—पत्र श्रीमती लीला देवी पत्नी स्व० श्री सनिया पुत्र सुन्दर सिंह, निवासी गांव अट, डाकघर सैंज, ग्राम पंचायत शिवपुर, तहसील रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पति स्व० श्री सनिया पुत्र सुन्दर सिंह की मृत्यु तिथि 24—07—2009 है, जो ग्राम पंचायत शिवपुर के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15—07—2025 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा प्रार्थिया के पति स्व० श्री सनिया पुत्र सुन्दर सिंह की मृत्यु तिथि 24—07—2009 है, जो ग्राम पंचायत शिवपुर में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03—06—2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

**ब अदालत श्री मोहन लाल, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि० प्र०)**

ब मुकद्दमा श्री भवान सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, गांव पशमी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरख्खास्त पटवार वृत्त गवाली के मौजा गवाली पशमी के राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री भवान सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, गांव पशमी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने इस अदालत में दरख्खास्त गुजारी है, जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उनका सही नाम भवान सिंह है जबकि मौजा गवाली पशमी, पटवार वृत्त गवाली, तहसील शिलाई के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम भगवान सिंह पुत्र शेर सिंह दर्ज है जोकि गलत है जिसे प्रार्थी दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम मौजा गवाली पशमी, पटवार वृत्त गवाली, तहसील शिलाई के राजस्व अभिलेख में भगवान सिंह के स्थान पर भवान सिंह दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 10—07—2025 सायं 05.00 बजे तक या इससे पहले दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में राजस्व अभिलेख मौजा दवाली पशमी, पटवार वृत्त गवाली, तहसील शिलाई में भगवान सिंह के स्थान पर भवान सिंह पुत्र शेर सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 26—05—2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

**ब अदालत श्री मोहन लाल, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि० प्र०)**

ब मुकदमा श्री उदय सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, निवासी गांव डेलवाणा, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री उदय सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, निवासी गांव डेलवाणा, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने इस अदालत में दरखास्त गुजारी है, प्रार्थी अपनी पुत्री स्वाती का नाम व जन्म दिनांक 16-03-2010 दर्ज करवाना चाहता है जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत कुंहट में दर्ज नहीं किया है जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन पत्र मय हल्की व्यान, प्रपत्र 10, आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुंहट, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 25-07-2025 सायं 05.00 बजे तक दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में स्वाती पुत्री उदय सिंह का नाम व जन्म तिथि 16-03-2010 ग्राम पंचायम कुंहट, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

**ब अदालत श्री जय कृष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील रोनहाट,
जिला सिरमौर (हि० प्र०)**

ब मुकदमा :

श्री जगपाल पुत्र मोही राम, निवासी ग्राम जास्वी, डा० कोटी-बोंच, ग्राम पंचायत अजरोली, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता निवासी ग्राम जास्वी, डा० कोटी-बोंच, ग्राम पंचायत अजरोली, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जगपाल पुत्र मोही राम, निवासी ग्राम जास्वी, डा० कोटी-बोंच, ग्राम पंचायत अजरोली, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि०प्र०) का आवेदन जिला पंजीपाल (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा

अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B & D/Delayed Cases/2025-2355 दिनांक 19-05-2025 के द्वारा प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी अपने पुत्र मंजीव की जन्म तिथि 11-08-2008 को ग्राम पंचायत अजरोली के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण राजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र में मय हल्किया व्यान, प्रपत्र 10, आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री जगपाल पुत्र मोही राम, निवासी ग्राम जास्वी, डा० कोटी-बोंच, ग्राम पंचायत अजरोली के पुत्र मंजीव की जन्म तिथि 11-08-2008 ग्राम पंचायत अजरोली, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 09-07-2025 सायं 5.00 बजे तक करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में मंजीव पुत्र श्री जगपाल की जन्म तिथि दिनांक 11-08-2008 को ग्राम पंचायत अजरोली, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री जय कृष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील रोनहाट,
जिला सिरमौर (हि० प्र०)

ब मुकद्दमा :

श्री पंच राम पुत्र बन्सी राम, निवासी ग्राम जास्वी, डा० कोटी-बोंच, ग्राम पंचायत अजरोली, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता निवासी ग्राम जास्वी, डा० कोटी-बोंच, ग्राम पंचायत अजरोली, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री पंच राम पुत्र बन्सी राम, निवासी ग्राम जास्वी, डा० कोटी-बोंच, ग्राम पंचायत अजरोली, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि०प्र०) का आवेदन जिला पंजीपाल (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B & D/Delayed Cases/2025-2356 दिनांक 19-05-2025 के द्वारा प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी अपने पुत्र समीर की जन्म तिथि 30-06-2010 को ग्राम पंचायत अजरोली के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण राजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र में मय हल्किया व्यान, प्रपत्र 10, आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री पंच राम पुत्र बन्सी राम, निवासी ग्राम जास्वी, डा० कोटी-बोंच, ग्राम पंचायत अजरोली के पुत्र समीर की जन्म तिथि 30-06-2010 ग्राम

पंचायत अजरोली, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 09-07-2025 सायं 5.00 बजे तक करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में समीर पुत्र श्री पंच राम की जन्म तिथि दिनांक 30-10-2010 को ग्राम पंचायत अजरोली, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि० प्र०)

केस नं० :
14/B & D/T/U/2025

किस्म मुकद्दमा:
जन्म पंजीकरण

तारीख दायरः
24-01-2025

तारीख पेशी:
28-06-2025

1. श्री प्रताप चन्द सैणी पुत्र लाल जी दास, वासी वार्ड नं० 1, पुराना बस स्टैंड ऊना, तहसील व जिला ऊना, हि०प्र० बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण संदीप सैणी जन्म तिथि 15-02-1986 पुत्र प्रताप चन्द सैणी व पुनम देवी प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

“इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चर्चानगी”।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जन्म पंजीकरण प्रार्थी प्रताप चन्द सैणी पुत्र लाल जी दास, वासी वार्ड नं० 1, पुराना बस स्टैंड ऊना, तहसील व जिला ऊना, हि०प्र० बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण संदीप सैणी जन्म तिथि 15-02-1986 पुत्र प्रताप चन्द सैणी व पुनम देवी।

प्रार्थना—पत्र प्रार्थी प्रताप चन्द सैणी पुत्र लाल जी दास, वासी वार्ड नं० 1, पुराना बस स्टैंड ऊना, तहसील व जिला ऊना, हि०प्र० बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण संदीप सैणी जन्म तिथि 15-02-1986 पुत्र प्रताप चन्द सैणी व पुनम देवी ने इस अदालत में एक प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उनके पुत्र का जन्म 15-02-1986 को एम.सी. ऊना में हुआ था परन्तु यह जन्म पंजीकरण अनभिज्ञता के कारण एम.सी. ऊना के रजिस्टर में दर्ज न हो सका।

अतः “इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चर्चानगी” के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 28-06-2025 को सुबह 10.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर एम.सी. ऊना को उक्त पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 28-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ऊना, जिला ऊना (हि० प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि० प्र०)

केस नं० :
15/B & D/T/U/2025

किरम मुकद्दमा:
जन्म पंजीकरण

तारीख दायरः
17-05-2025

तारीख पेशी:
05-07-2025

1. श्रीमती शोभा देवी पत्नी कारू रविदास, वासी काजी चक मिलकी, डा० तारापुर काजी चक मुनगर बिहार-813321, हाल वासी वार्ड नं० 5, चौरासी पौडिया ऊना, तहसील व जिला ऊना, हि०प्र० बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण शिवानी की जन्म तिथि 18-10-2012 पुत्री कारू रविदास व शोभा देवी

प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

“इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चर्स्पानगी”।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जन्म पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती शोभा देवी पत्नी कारू रविदास, वासी काजी चक मिलकी, डा० तारापुर काजी चक मुनगर बिहार-813321, हाल वासी वार्ड नं० 5, चौरासी पौडिया ऊना, तहसील व जिला ऊना, हि०प्र० बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण शिवानी की जन्म तिथि 18-10-2012 पुत्री कारू रविदास व शोभा देवी।

प्रार्थना—पत्र प्रार्थिया श्रीमती शोभा देवी पत्नी कारू रविदास, वासी काजी चक मिलकी, डा० तारापुर काजी चक मुनगर बिहार-813321, हाल वासी वार्ड नं० 5, चौरासी पौडिया ऊना, तहसील व जिला ऊना, हि०प्र० बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण शिवानी की जन्म तिथि 18-10-2012 पुत्री कारू रविदास व शोभा देवी ने इस अदालत में एक प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उसकी पुत्री का जन्म 18-10-2012 को एम.सी. ऊना में हुआ था परन्तु यह जन्म पंजीकरण अनभिज्ञता के कारण एम.सी. ऊना के रजिस्टर में दर्ज न हो सका।

अतः “इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चर्स्पानगी” के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 05-07-2025 को सुबह 10.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर एम.सी. ऊना को उक्त पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 05-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ऊना, जिला ऊना (हि० प्र०)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी गगरेट स्थित कलोह, उप-तहसील गगरेट स्थित कलोह,
जिला ऊना (हि०प्र०)**

विवाह पंजीकरण

1. श्री नितिन सिंह भाटिया पुत्र श्री बलबीर सिंह, निवासी गांव कृष्णा नगर, गगरेट, उप-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि०प्र०)।

2. श्रीमती नैसी चौधरी पुत्री श्री राजिंदर कुमार, वासी गांव हरवाल, डा० नंगल जरियाला, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि०प्र०) हाल पत्नी श्री नितिन सिंह भाटिया पुत्र श्री बलबीर सिंह, निवासी गांव कृष्णा नगर, गगरेट, उप-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि०प्र०) प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय—प्रार्थना—पत्र अधीन धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

श्री नितिन सिंह भाटिया पुत्र श्री बलबीर सिंह, निवासी गांव कृष्णा नगर, गगरेट, उप-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि०प्र०) व श्रीमती नैसी चौधरी पुत्री श्री राजिंदर कुमार, वासी गांव हरवाल, डा० नंगल जरियाला, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि०प्र०) हाल पत्नी श्री नितिन सिंह भाटिया पुत्र श्री बलबीर सिंह, निवासी गांव कृष्णा नगर, गगरेट, उप-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि०प्र०) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र पेश किया है कि उनकी शादी दिनांक 18—11—2023 को मुताबिक सिख रीति—रिवाज से हुई थी परन्तु अज्ञानतावश शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत गगरेट अपर के अभिलेख में नहीं करवाया है। प्रार्थी व प्रार्थीया ने अपनी शादी की पुष्टि बारे अपने विवाह की फोटो, शपथ—पत्र, आधार कार्ड आदि दस्तावेज प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किए हैं। रिपोर्ट सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत गगरेट अपर के अनुसार उक्त शादी सम्बन्धित पंचायत गगरेट अपर में दर्ज न है। अब प्रार्थीगण अपनी शादी पंजीकृत करवाना चाहते हैं।

अतः आम जनता को इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 10—07—2025 को दोपहर 02.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। गैर—हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही करके नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 10—06—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी गगरेट स्थित कलोह,
उप-तहसील गगरेट, जिला ऊना (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि० प्र०)

केस नं० :
18 / Marr. /T/U/2025

किस्म मुकद्दमा :
विवाह पंजीकरण

तारीख दायर
10—06—2025

तारीख पेशी :
14—07—2025

1. श्री राकेश कुमार पुत्र विश्वनाथ, वासी त्यूडी, तहसील व जिला ऊना (हि०प्र०) हाल वासी हाउस नं० 163 लक्ष्मी नगर, ईस्ट दिल्ली-110092.

बनाम

आम जनता

“इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी”।

प्रार्थना—पत्र शादी पंजीकरण श्री राकेश कुमार पुत्र विश्वनाथ, वासी त्यूडी, तहसील व जिला ऊना (हि०प्र०) हाल वासी हाउस नं० 163 लक्ष्मी नगर, ईस्ट दिल्ली-110092 बाबत दिए जाने आदेश शादी पंजीकरण ने इस अदालत में एक प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उनकी शादी हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार दिनांक 14-08-2002 को श्रीमती सोनिका हाल पत्नी राकेश कुमार पुत्री देश राज, वासी चपड़ही, डा० पीरसलूही, तहसील रक्कड व जिला कांगड़ा (हि०प्र०) से हुई है। परन्तु यह शादी सहबन गलती के कारण ग्राम पंचायत त्यूडी के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है। उन्होंने इस शादी को एम०सी०/पंचायत में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि में आधार कार्ड, शपथ—पत्र, तथा अन्य दस्तावेज प्रार्थना—पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक तारीख पेशी 14-07-2025 को सुबह 10 बजे असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा उपरोक्त विवाह पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 10-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि० प्र०)

केस नं० :	किस्म मुकदमा :	तारीख दायर	तारीख पेशी :
20 / Marr. /T/U/2025	विवाह पंजीकरण	12-06-2025	14-07-2025

1. श्री राज कुमार पुत्र राम आसरा, वासी वार्ड नं० 3, मौहल्ला गलुआ ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

“इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी”।

प्रार्थना—पत्र शादी पंजीकरण श्री राज कुमार पुत्र राम आसरा, वासी वार्ड नं० 3, मौहल्ला गलुआ ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि०प्र०) बाबत दिए जाने आदेश शादी पंजीकरण ने इस अदालत में एक प्रार्थना—पत्र

दायर किया है कि उनकी शादी हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार दिनांक 11-07-2008 को श्रीमती पुजा मैहता हाल पत्नी राज कुमार पुत्री ओम प्रकाश, व वार्ड नं 3, मौहल्ला गलुआ, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) से हुई है। परन्तु यह शादी सहबन गलती के कारण एम0सी0 ऊना के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है। उन्होंने इस शादी को एम0सी0/पंचायत में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि में आधार कार्ड, शपथ-पत्र, तथा अन्य दस्तावेज प्रार्थना-पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुख्ती मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो तारीख पेशी 14-07-2025 को सुबह 10 बजे असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकत्रफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा उपरोक्त विवाह पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 16-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0 प्र0)

केस नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख दायर	तारीख पेशी :
21 / Marr. /T/U/2025	विवाह पंजीकरण	13-06-2025	16-07-2025

1. श्री राकेश कुमार अरोड़ा पुत्र दर्शन दयाल, वासी वार्ड नं 9, मौहल्ला गुरु नानक पुरा नियर पुराना सिविल अस्पताल ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) व श्रीमती अनीता सोढी हाल पत्नी राकेश कुमार अरोड़ा पुत्री जगदीश कुमार सोढी, वासी वार्ड नं 3 प्रताप नगर हमीरपुर, तहसील व जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

“इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुख्ती मुनादी व चस्पानगी”।

प्रार्थना-पत्र शादी पंजीकरण श्री राकेश कुमार अरोड़ा पुत्र दर्शन दयाल, वासी वार्ड नं 9, मौहल्ला गुरु नानक पुरा नियर पुराना सिविल अस्पताल ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) व श्रीमती अनीता सोढी हाल पत्नी राकेश कुमार अरोड़ा पुत्री जगदीश कुमार सोढी, वासी वार्ड नं 3 प्रताप नगर हमीरपुर, तहसील व जिला हमीरपुर (हि0प्र0) से हुई है। परन्तु यह शादी सहबन गलती के कारण एम0सी0 ऊना के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है। उन्होंने इस शादी को एम0सी0/पंचायत में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि में आधार कार्ड, शपथ-पत्र, तथा अन्य दस्तावेज प्रार्थना-पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो तारीख पेशी 16-07-2025 को सुबह 10 बजे असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकत्रफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा उपरोक्त विवाह पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 16-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

1. श्री विवेक ठाकुर पुत्र रघुबीर सिंह, निवासी गांव नारी चिंतपूर्णी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।
2. श्रीमती मुस्कान पुत्री भोले, निवासी देवियापुर, सुखवान काला, डाठो केमहारा कलां बिस्वा, शितापुर (उ0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे।

श्री विवेक ठाकुर पुत्र रघुबीर सिंह, निवासी गांव नारी चिंतपूर्णी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती मुस्कान पुत्री भोले, निवासी देवियापुर, सुखवान काला, डाठो केमहारा कलां बिस्वा, शितापुर (उ0प्र0) के साथ दिनांक 18-01-2022 को मुताबिक हिन्दू रीति—रिवाज के साथ हुई है और तब से बतौर पति—पत्नी आपस में रह रहे हैं जिसका पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया है तथा प्रार्थी अब इसे पंजीकृत करवाना चाहते हैं। रिपोर्ट स्थानीय पंजीकरण विवाह पंजीकार ग्राम पंचायत नारी चिंतपूर्णी के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 16-07-2025 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पहले किसी भी दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करे अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 23-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

CORRECTION OF NAME

I, Fula Devi aged 59 years w/o Sh. Pawan Kumar, r/o Village Palhoon, P.O. Jalpehar, Tehsil Jogindernagar, District Mandi (H.P.)-176120 declare that my name has been wrongly recorded in the Aadhar Card No. 7669 6143 4159 as Phula Devi in place of Fula Devi, whereas my correct name is Fula Devi. All concerned please may note.

FULA DEVI
*w/o Sh. Pawan Kumar,
r/o Village Palhoon, P.O. Jalpehar,
Tehsil Jogindernagar, District Mandi (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Kulam Pati w/o Late Sh. Binjiu, r/o Village Gajayani, P.O. Sindasli, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) declare that my name is incorrectly mentioned as Kuli Devi in Aadhar Card. Therefore, it should be changed to Kulam Pati in the Aadhar Card. Note the relevant information.

KULAM PATI
*w/o Late Sh. Binjiu,
r/o Village Gajayani, P.O. Sindasli,
Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Sunil Kumar s/o Sh. Keshav Lal, r/o V.P.O. Tapa, Pahra, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.)-176087 declare that my son's name is currently misspelt as Anshu which is incorrect. I intend to correct his name to Anshul Oberoi, which is the correct spelling. This is notified to all.

SUNIL KUMAR
*s/o Sh. Keshav Lal,
r/o V. P.O. Tapa, Pahra,
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Ramjaano w/o Sh. Bashir, r/o Village Harlu Dhamol, P.O. Chalana, Tehsil Dadahu, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name from Jano Bibi to Ramjaano for all purposes in future. Please note.

RAMJAANO
*w/o Sh. Bashir,
r/o Village Harlu Dhamol,
P.O. Chalana, Tehsil Dadahu, District Sirmaur (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Pushpa Devi w/o Sh. Balak Ram, r/o Village Deoli, P.O. Poeg, Tehsil Anni, District Kullu (H.P.) declare that I have changed my grand daughter's name from Vanisha (Previous name) to Benisha Chauhan (New Name). All concerned please may note.

PUSHPA DEVI
*w/o Sh. Balak Ram,
r/o Village Deoli, P.O. Poeg,
Tehsil Anni, District Kullu (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Sarita Devi w/o Sh. Sansar Chand, r/o V.P.O. Raipur (Via Sullah), Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) declare that in my husband's PPO No. 401200101115 record my name is wrongly entered as Sarita, whereas my correct name is Sarita Devi. Please note.

SARITA DEVI
*w/o Sh. Sansar Chand,
r/o V.P.O. Raipur (Via Sullah),
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Joginder s/o Sh. Man Dass, r/o Village Haranha, P.O. Kanda Banah, Tehsil Kupvi, District Shimla (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing No. 5012 8785 8784 my name is wrongly entered as Jagat Singh, which should be corrected as Joginder. Please correct this.

JOGINDER
*s/o Sh. Man Dass,
r/o Village Haranha, P.O. Kanda Banah,
Tehsil Kupvi, District Shimla (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Monika Jaswal w/o Sh. Deepak Kumar, r/o Village Chandesh, P.O. & Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Monik Jaswal which should be corrected as Monika Jaswal. Please correct this.

MONIKA JASWAL
*w/o Sh. Deepak Kumar,
r/o Village Chandesh,
P.O. & Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Sushama Devi w/o Sh. Shyam Lal, r/o Village Oel, P.O. Bilaspur, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.) declare that my name is wrongly entered in my son's (Nikhil Kumar) Educational certificates 10th, +2 records as Sushma, but my actual name is Sushama Devi. All concerned note.

SUSHAMA DEVI
w/o Sh. Shyam Lal,
r/o Village Oel, P.O. Bilaspur,
Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.).

In the Court of Assistant Collector (1st Grade)-cum-Tehsildar, Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.)

<u>Case No.</u>	<u>Date of Institution</u>	<u>Date of Decision</u>
06/IX of 2025	22-03-2025	Pending

Sh. Krishna Murti s/o Desh Raj s/o Ram Krishan Dass, r/o Aadat Bazar Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.Applicant.

Versus

01. Sh. Virender Kumar s/o Mohan Lal, r/o Jain Cloth Emporium, SCF 62, Sector 15D, Chandigarh.

02. Sh. Uday Bhanu s/o Mohan Lal, r/o Mahalakshmi Building Material, Village Mohali, District Mohali, Punjab.

03. Sh. Narender Kumar s/o Mohan Lal, r/o Vill. Mashobra, P.O. & Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P.

04. Sh. Navneet Kumar s/o Mohan Lal, r/o Vill. Mashobra, P.O. & Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P.

05. Sh. Ashutosh s/o Mohan Lal, r/o Vill. Mashobra, P.O. Kasauli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P.

06. Smt. Vinod Bala d/o Mohan Lal, r/o Vill. Mashobra, P.O. Kasauli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P.

07. Smt. Nirmala d/o Mohan Lal, r/o Vill. Mashobra, P.O. Kasauli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P.

08. Smt. Maya Devi w/o Mohan Lal, r/o Vill. Mashobra, P.O. Kasauli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P.

09. Sh. Mahesh Agarwal s/o Jagvinder Prakash, r/o Nalagarh, Teh. & Distt. Nalagarh, H.P.

-
10. Sh. Dinesh Agarwal s/o Jagvinder Prakash, r/o Nalagarh, Teh. & Distt. Nalagarh, H.P.
11. Smt. Saroj w/o Lt. Sh. Surinder Jain, r/o Aadat Bazar Kasauli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P.
12. Sh. Chander Shekhar s/o Surinder Jain, r/o Aadat Bazar Kasauli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P.
13. Sh. Rama Kant s/o Surinder Jain, r/o Aadat Bazar Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.
14. Sh. Subash s/o Sh. Sohan Lal, r/o Aadat Bazar Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.
15. Sh. Balwant Rai s/o Sh. Sohan Lal, r/o Aadat Bazar Kasauli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P.
16. Sh. Prem Sagar s/o Sh. Sohan Lal, r/o Aadat Bazar Kasauli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P.
17. Sh. Kulwant Rai s/o Sh. Sohan Lal, r/o Aadat Bazar Kasauli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P.
18. Sh. Shanti Prasad s/o Sh. Sohan Lal, r/o Aadat Bazar Kasauli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan H.P.
19. Sh. Baldev Raj s/o Sh. Sohan Lal, r/o Aadat Bazar Kasauli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan
20. Sh. Asahok s/o Sh. Sohan Lal, r/o Aadat Bazar Kasauli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan
21. Smt. Kamla d/o Sh. Sohan Lal, r/o Aadat Bazar Kasauli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan

..Respondents.

Subject.—An Application under section 123 of H.P. Land Revenue Act, 1954 for partition of land bearing Khata/Khatauni No. 133/135, Khasra No. 116/111/51/7, measuring 01 Bigha, situated at Mohal Mashobra, Patwar Circle Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. as per Jamabandi Year 2019-2020.

उद्घोषणा (Proclamation) under Section 23 & 125 (B) of H.P. Land Revenue Act 1954.

इस उद्घोषणा के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वादी श्री कृष्ण मूर्ति ने एक प्रार्थना पत्र धारा 123 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1954 के तहत उक्त भूमि की हुक्मन तकसीम करवाने बारे इस अदालत में पेश किया है जिसमें दिनांक 27-06-2025 को तरीका तकसीम के आदेश पारित किये जाने हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 23 व 125 (B) के तहत सर्वसाधारण को इस उद्घोषणा के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त तकसीम में

किसी भी प्रतिवादीगण या अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई भी उजर व ऐतराज है तो वह दिनाँक 27-06-2025 को प्रातः 11:00 बजे अपना उजर व ऐतराज अधोहस्ताक्षरी की अदालत में स्वयं पेश होकर या लिखित रूप में पेश कर सकता है तदोपरान्त कोई भी उजर व ऐतराज जैरे समायत न होगा व तरीका तकसीम आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनाँक 20-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

सहायक समाहर्ता-प्रथम वर्ग, कसौली,
तहसील कसौली जिला सोलन हि० प्र० ।

**In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)**

Notice under section 16 of Special Marriage Act.

Whereas, Mr. Vikrant Thakur s/o Mr. Sunil Kapil, r/o Village Kothi Deora P.O. Ghatti, Tehsil and Distt. Solan (H.P.) and Mrs. Nisha Thakur d/o Sh. Tulsi Ram and w/o Mr. Vikrant Thakur, r/o Village Kothi Deora P.O. Ghatti, Tehsil and Distt. Solan (H.P.) have filed an application for the registration of their marriage, which was solemnized on 04-07-2010 and they have been living as husband and wife ever since then.

And whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that Mr. Vikrant Thakur & Mrs. Nisha Thakur were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other, debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Notices has been served to all concerned and general public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between the above parties i.e. Mr. Vikrant Thakur and Mrs. Nisha Thakur they may file their written objections and appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court, post which no objection will be heard or accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 26th day of May, 2025.

Seal.

Sd/-
(DR. POONAM, HPAS),
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan (H. P.).*

**In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)**

Notice under section 6 of Special Marriage Act.

Whereas, Mohammed Sohaib s/o Mohammed Saleem, r/o Ansari Manzil, Byepass Road, near BDO Office, Kaher, Ward No. 2, Tehsil and Distt. Solan (H.P.) and Ms. Arshi Parveen d/o

Mohammed Aslam, r/o Jain Niwas, Amit Apartment, Sunny Side, Ward No. 12, Solan, Tehsil and Distt. Solan (H.P.) have gave notice of intended marriage u/s 5 of the Special Marrige Act, 1954 to this office.

And whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that Mohammed Sohaib & Ms. Arshi Parveen were unmarried. Both the applicants have requested for solemnization of their marriage.

Notices are given to all concerned and general public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage between the above said Mohammed Sohaib & Ms. Arshi Parveen they may file their written objections and appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the aforesaid marriage will be solemnized accordingly and marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later no objection will be heard or accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 20th day of May, 2025.

Seal.

Sd/-

(DR. POONAM, HPAS),
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan (H. P.).*

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer,
Kasauli, District Solan (H.P.)**

1. Sh. Rohit aged 34 years D.O.B. 16-03-1991 s/o Sh. Sonu Ram, r/o Village Sanawar, P.O. Sanawar, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).

2. Mrs. Sarbjit Kaur aged 35 years D.O.B. 15-05-1990 d/o Sh. Bant Singh, r/o Village Ramgarh, P.O. Khamano, Tehsil Khamano, Fatehgarh Sahib, Punjab.

Versus

General Public

Notice under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Rohit aged 34 years D.O.B. 16-03-1991 s/o Sh. Sonu Ram, r/o Village Sanawar, P.O. Sanawar, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) (Bride Groom) and Mrs. Sarbjit Kaur aged 35 years D.O.B. 15-05-1990 d/o Sh. Bant Singh, r/o Village Ramgarh, P.O. Khamano, Tehsil Khamano, Fatehgarh Sahib, Punjab for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 23-04-2025 that they have solemnized their marriage with each other on 15-02-2014. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard should reach this court on or before 03-07-2025, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 03-06-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kasauli, District Solan (H.P.).*

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer,
Kasauli, District Solan (H.P.)**

1. Sh. Devender Kumar aged 25 years D.O.B. 23-10-1999 s/o Sh. Amar Singh, r/o Village Thandu, P.O. Kot Beja, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).
2. Mrs. Neelam Kumari aged 19 years D.O.B. 05-08-2006 d/o Sh. Kashi Ram, r/o Village Bakhrog, P.O. Patta Mehlog, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.).

Versus

General Public

Notice under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Devender Kumar aged 25 years D.O.B. 23-10-1999 s/o Sh. Amar Singh, r/o Village Thandu, P.O. Kot Beja, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) (Bride Groom) and Mrs. Neelam Kumari aged 19 years D.O.B. 05-08-2006 d/o Sh. Kashi Ram, r/o Village Bakhrog, P.O. Patta Mehlog, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.) for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 07-05-2025 that they have solemnized their marriage with each other on 09-04-2014. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard should reach in this court on or before 03-07-2025, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 03-06-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kasauli, District Solan (H.P.).*

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer,
Kasauli, District Solan (H.P.)**

1. Sh. Anoop Kumar aged 35 years D.O.B. 07-04-1990 s/o Sh. Hari Singh, r/o H. No. 364/1, Sector 2, Village Taksal, Parwanoo, District Solan (H.P.).
2. Mrs. Neha Mittal aged 39 years D.O.B. 12-09-1985 d/o Sh. Shiv Kumar Mittal, r/o H. No. 3118, Sector 47D, VTC Chandigarh, District Chandigarh- 160 047.

Versus

General Public

Notice under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Anoop Kumar aged 35 years D.O.B. 07-04-1990 s/o Sh. Hari Singh, r/o H. No. 364/1, Sector 2, Village Taksal, Parwanoo, District Solan (H.P.) (Bride Groom) and Mrs. Neha Mittal aged 39 years D.O.B. 12-09-1985 d/o Sh. Shiv Kumar Mittal, r/o H. No. 3118, Sector 47D, VTC Chandigarh, District Chandigarh- 160 047 for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 16-10-2023 that they have solemnized their marriage with each other on 03-04-2023. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard should reach in this court on or before 03-07-2025, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 03-06-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kasauli, District Solan (H.P.).*

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer,
Kasauli, District Solan (H.P.)**

1. Sh. Mukesh Kumar aged 38 years D.O.B. 13-03-1987 s/o Sh. Bala Ram, r/o Ghat Kot Beja, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).

2. Mrs. Savitri Devi aged 51 years D.O.B. 15-02-1974 d/o Sh. Hari Ram, r/o Village Bogdhar, P.O. Bogdhar Shamra, Tehsil Noradhar, Distt. Sirmaur (H.P.).

Versus

General Public

Notice under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Mukesh Kumar aged 38 years D.O.B. 13-03-1987 s/o Sh. Bala Ram, r/o Ghat Kot Beja, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) (Bride Groom) and Mrs. Savitri Devi aged 51 years D.O.B. 15-02-1974 d/o Sh. Hari Ram, r/o Village Bogdhar, P.O. Bogdhar Shamra, Tehsil Noradhar, Distt. Sirmaur (H.P.) for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 08-11-2024 that they have solemnized their marriage with each other on 15-12-2018. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard should reach this court on or before 03-07-2025, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 03-06-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kasauli, District Solan (H.P.).*

**In the Court of Assistant Collector (1st Grade)-cum-Tehsildar, Kasauli, Tehsil Kasauli,
District Solan (H.P.)**

Case No.
06/IX of 2025

Date of Institution
22-03-2025

Date of Decision
Pending

Sh. Krishna Murti s/o Desh Raj s/o Ram Krishan Dass, r/o Aadat Bazar Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.*Applicant.*

Versus

01. Sh. Virender Kumar s/o Mohan Lal, r/o Jain Cloth Emporium, SCF 62, Sector 15D, Chandigarh.

02. Sh. Uday Bhanu s/o Mohan Lal, r/o Mahalakshmi Building Material, Village Mohali, District Mohali, Punjab.

03. Sh. Narender Kumar s/o Mohan Lal, r/o Vill. Mashobra, P.O. & Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P.

04. Sh. Navneet Kumar s/o Mohan Lal, r/o Vill. Mashobra, P.O. & Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P.

05. Sh. Ashutosh s/o Mohan Lal, r/o Vill. Mashobra, P.O. Kasauli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P.

06. Smt. Vinod Bala d/o Mohan Lal, r/o Vill. Mashobra, P.O. Kasauli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P.

07. Smt. Nirmala d/o Mohan Lal, r/o Vill. Mashobra, P.O. Kasauli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P.

08. Smt. Maya Devi w/o Mohan Lal, r/o Vill. Mashobra, P.O. Kasauli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P.

09. Sh. Mahesh Agarwal s/o Jagvinder Prakash, r/o Nalagarh, Teh. & Distt. Nalagarh, H.P.

10. Sh. Dinesh Agarwal s/o Jagvinder Prakash, r/o Nalagarh, Teh. & Distt. Nalagarh, H.P.

11. Smt. Saroj w/o Lt. Sh. Surinder Jain, r/o Aadat Bazar Kasauli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P.

12. Sh. Chander Shekhar s/o Surinder Jain, r/o Aadat Bazar Kasauli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P.

13. Sh. Rama Kant s/o Surinder Jain, r/o Aadat Bazar Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.

14. Sh. Subash s/o Sh. Sohan Lal, r/o Aadat Bazar Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.

15. Sh. Balwant Rai s/o Sh. Sohan Lal, r/o Aadat Bazar Kasauli, Tehsil Kasauli, Distt.

Solan, H.P.

16. Sh. Prem Sagar s/o Sh. Sohan Lal, r/o Aadat Bazar Kasauli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P.

17. Sh. Kulwant Rai s/o Sh. Sohan Lal, r/o Aadat Bazar Kasauli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P.

18. Sh. Shanti Prasad s/o Sh. Sohan Lal, r/o Aadat Bazar Kasauli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan H.P.

19. Sh. Baldev Raj s/o Sh. Sohan Lal, r/o Aadat Bazar Kasauli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan

20. Sh. Asahok s/o Sh. Sohan Lal, r/o Aadat Bazar Kasauli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan

21. Smt. Kamla d/o Sh. Sohan Lal, r/o Aadat Bazar Kasauli, Tehsil Kasauli, Distt. Solan

..Respondents.

Subject.—An Application under section 123 of H.P. Land Revenue Act, 1954 for partition of land bearing Khata/Khatauni No. 133/135, Khasra No. 116/111/51/7, measuring 01 Bigha, situated at Mohal Mashobra, Patwar Circle Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. as per Jamabandi Year 2019-2020.

उदघोषणा (Proclamation) under Section 23 & 125 (B) of H.P. Land Revenue Act 1954.

इस उदघोषणा के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वादी श्री कृष्ण मूर्ति ने एक प्रार्थना पत्र धारा 123 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1954 के तहत उक्त भूमि की हुक्मन तकसीम करवाने बारे इस अदालत में पेश किया है जिसमें दिनांक 27-06-2025 को तरीका तकसीम के आदेश पारित किये जाने हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 23 व 125 (B) के तहत सर्वसाधारण को इस उदघोषणा के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त तकसीम में किसी भी प्रतिवादीगण या अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई भी उजर व ऐतराज है तो वह दिनांक 27-06-2025 को प्रातः 11:00 बजे अपना उजर व ऐतराज अधोहस्ताक्षरी की अदालत में स्वयं पेश होकर या लिखित रूप में पेश कर सकता है तदोपरान्त कोई भी उजर व ऐतराज जैरे समायत न होगा व तरीका तकसीम आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

सहायक समाहर्ता-प्रथम वर्ग, कसौली,
तहसील कसौली जिला सोलन हि० प्र० ।

**In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)**

Notice under section 16 of Special Marriage Act.

Whereas, Mr. Vikrant Thakur s/o Mr. Sunil Kapil, r/o Village Kothi Deora P.O. Ghatti, Tehsil and Distt. Solan (H.P.) and Mrs. Nisha Thakur d/o Sh. Tulsi Ram and w/o Mr. Vikrant Thakur, r/o Village Kothi Deora P.O. Ghatti, Tehsil and Distt. Solan (H.P.) have filed an application for the registration of their marriage, which was solemnized on 04-07-2010 and they have been living as husband and wife ever since then.

And whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that Mr. Vikrant Thakur & Mrs. Nisha Thakur were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other, debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Notices has been served to all concerned and general public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between the above parties i.e. Mr. Vikrant Thakur and Mrs. Nisha Thakur they may file their written objections and appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court, post which no objection will be heard or accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 26th day of May, 2025.

Seal.

Sd/-

(DR. POONAM, HPAS),
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan (H. P.).*

**In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)**

Notice under section 6 of Special Marriage Act.

Whereas, Mohammed Sohaib s/o Mohammed Saleem, r/o Ansari Manzil, Byepass Road, near BDO Office, Kaher, Ward No. 2, Tehsil and Distt. Solan (H.P.) and Ms. Arshi Parveen d/o Mohammed Aslam, r/o Jain Niwas, Amit Apartment, Sunny Side, Ward No. 12, Solan, Tehsil and Distt. Solan (H.P.) have gave notice of intended marriage u/s 5 of the Special Marriage Act, 1954 to this office.

And whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that Mohammed Sohaib & Ms. Arshi Parveen were unmarried. Both the applicants have requested for solemnization of their marriage.

Notices are given to all concerned and general public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage between the above said Mohammed Sohaib & Ms. Arshi Parveen they may file their written objections and appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the aforesaid marriage will be solemnized accordingly and marriage

certificate would be issued to the applicants by this court and later no objection will be heard or accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 20th day of May, 2025.

Seal.

Sd/-

(DR. POONAM, HPAS),
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan (H. P.).*

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer,
Kasauli, District Solan (H.P.)**

1. Sh. Rohit aged 34 years D.O.B. 16-03-1991 s/o Sh. Sonu Ram, r/o Village Sanawar, P.O. Sanawar, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).
2. Mrs. Sarbjit Kaur aged 35 years D.O.B. 15-05-1990 d/o Sh. Bant Singh, r/o Village Ramgarh, P.O. Khamano, Tehsil Khamano, Fatehgarh Sahib, Punjab.

Versus

General Public

Notice under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Rohit aged 34 years D.O.B. 16-03-1991 s/o Sh. Sonu Ram, r/o Village Sanawar, P.O. Sanawar, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) (Bride Groom) and Mrs. Sarbjit Kaur aged 35 years D.O.B. 15-05-1990 d/o Sh. Bant Singh, r/o Village Ramgarh, P.O. Khamano, Tehsil Khamano, Fatehgarh Sahib, Punjab for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 23-04-2025 that they have solemnized their marriage with each other on 15-02-2014. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard should reach this court on or before 03-07-2025, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 03-06-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kasauli, District Solan (H.P.).*

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer,
Kasauli, District Solan (H.P.)**

1. Sh. Devender Kumar aged 25 years D.O.B. 23-10-1999 s/o Sh. Amar Singh, r/o Village Thandu, P.O. Kot Beja, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).

2. Mrs. Neelam Kumari aged 19 years D.O.B. 05-08-2006 d/o Sh. Kashi Ram, r/o Village Bakhrog, P.O. Patta Mehlog, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.).

Versus

General Public

Notice under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Devender Kumar aged 25 years D.O.B. 23-10-1999 s/o Sh. Amar Singh, r/o Village Thandu, P.O. Kot Beja, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) (Bride Groom) and Mrs. Neelam Kumari aged 19 years D.O.B. 05-08-2006 d/o Sh. Kashi Ram, r/o Village Bakhrog, P.O. Patta Mehlog, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.) for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 07-05-2025 that they have solemnized their marriage with each other on 09-04-2014. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard should reach in this court on or before 03-07-2025, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 03-06-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kasauli, District Solan (H.P.).*

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer,
Kasauli, District Solan (H.P.)**

1. Sh. Anoop Kumar aged 35 years D.O.B. 07-04-1990 s/o Sh. Hari Singh, r/o H. No. 364/1, Sector 2, Village Taksal, Parwanoo, District Solan (H.P.).

2. Mrs. Neha Mittal aged 39 years D.O.B. 12-09-1985 d/o Sh. Shiv Kumar Mittal, r/o H. No. 3118, Sector 47D, VTC Chandigarh, District Chandigarh- 160 047.

Versus

General Public

Notice under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Anoop Kumar aged 35 years D.O.B. 07-04-1990 s/o Sh. Hari Singh, r/o H. No. 364/1, Sector 2, Village Taksal, Parwanoo, District Solan (H.P.) (Bride Groom) and Mrs. Neha Mittal aged 39 years D.O.B. 12-09-1985 d/o Sh. Shiv Kumar Mittal, r/o H. No. 3118, Sector 47D, VTC Chandigarh, District Chandigarh- 160 047 for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 16-10-2023 that they have solemnized their marriage with each other on 03-04-2023. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard should reach in this court on or before 03-07-2025, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 03-06-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kasauli, District Solan (H.P.).*

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer,
Kasauli, District Solan (H.P.)**

1. Sh. Mukesh Kumar aged 38 years D.O.B. 13-03-1987 s/o Sh. Bala Ram, r/o Ghat Kot Beja, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).

2. Mrs. Savitri Devi aged 51 years D.O.B. 15-02-1974 d/o Sh. Hari Ram, r/o Village Bogdhar, P.O. Bogdhar Shamra, Tehsil Noradhar, Distt. Sirmaur (H.P.).

Versus

General Public

Notice under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Mukesh Kumar aged 38 years D.O.B. 13-03-1987 s/o Sh. Bala Ram, r/o Ghat Kot Beja, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) (Bride Groom) and Mrs. Savitri Devi aged 51 years D.O.B. 15-02-1974 d/o Sh. Hari Ram, r/o Village Bogdhar, P.O. Bogdhar Shamra, Tehsil Noradhar, Distt. Sirmaur (H.P.) for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 08-11-2024 that they have solemnized their marriage with each other on 15-12-2018. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard should reach this court on or before 03-07-2025, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 03-06-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kasauli, District Solan (H.P.).*

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer,
Kasauli, District Solan (H.P.)**

1. Sh. Bindu aged 28 years D.O.B. 26-11-1996 s/o Sh. Chaman Lal, r/o Khuhed, Balohad, District Chamba (H.P.) at present residing at VPO Patta Mehlog, Tehsil Kasauli (H.P.).

2. Mrs. Anita Devi aged 28 years D.O.B. 26-04-1997 d/o Sh. Bali Ram, r/o Village Sari, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.).

Versus

General Public

Notice under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Bindu aged 28 years D.O.B. 26-11-1996 s/o Sh. Chaman Lal, r/o Khuhed, Balohad, District Chamba (H.P.) at present residing at VPO Patta Mehlog, Tehsil Kasauli (H.P.) (Bride Groom) and Mrs. Anita Devi aged 28 years D.O.B. 26-04-1997 d/o Sh. Bali Ram, r/o Village Sari, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.) for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 21-05-2025 that they have solemnized their marriage with each other on 07-07-2020. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard should reach this court on or before 03-07-2025, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 03-06-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kasauli, District Solan (H.P.).*

**In the Court of Sh. Ashok Kumar Assistant Collector Grade-II,
Sub-Tehsil Parwanoo, Distt. Solan H.P.**

<u>Case No.</u>	<u>Date of Institution</u>	<u>Date of Decision</u>
17/2025	05-06-2025	Fixed for 07-07-2025

Sh. Desh Raj s/o Sh. Niku Ram, r/o Village Nabon, Post Office Pratha, Sub-Tehsil Parwanoo, Distt. Solan, H.P.

Versus

General Public through: Gram-Panchayat Pratha, Sub-Tehsil Parwanoo, Distt. Solan, H.P.

Application Under Section 13(3) of H.P. Birth And Death Registration Act, 1969.

Sh. Desh Raj S/o Sh. Niku Ram, r/o Village Nabon, Post Office Pratha, Sub-Tehsil Parwanoo, Distt. Solan, H.P. has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that he was born on 14-05-1980 at r/o Nabon, P.O. Pratha Sub-Tehsil Parwanoo, but his birth could not be registered in the birth records of Gram-Panchayat Pratha, with in stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Secretary, Gram-Panchayat Pratha, for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having objection regarding registering the birth of Sh. Desh Raj S/o Sh. Niku Ram, r/o Village Nabon, Post Office Pratha, Sub-Tehsil Parwanoo, Distt. Solan, H.P in the records of GP Pratha, may file their objection in this court on or before 07-07-2025 failing which no objection shall be entertained later.

Given under my hand and seal on this 05th day of June, 2025.

Seal.

Sd/-

(ASHOK KUMAR),
Assistant Collector (2nd Grade)-cum-Naib Tehsildar,
Sub-Tehsil Parwanoo, District Solan, H.P.

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer,
Kasauli, District Solan (H.P.)**

1. Sh. Bindu aged 28 years D.O.B. 26-11-1996 s/o Sh. Chaman Lal, r/o Khuhed, Balohad, District Chamba (H.P.) at present residing at VPO Patta Mehlog, Tehsil Kasauli (H.P.).

2. Mrs. Anita Devi aged 28 years D.O.B. 26-04-1997 d/o Sh. Bali Ram, r/o Village Sari, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.).

Versus

General Public

Notice under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Bindu aged 28 years D.O.B. 26-11-1996 s/o Sh. Chaman Lal, r/o Khuhed, Balohad, District Chamba (H.P.) at present residing at VPO Patta Mehlog, Tehsil Kasauli (H.P.) (Bride Groom) and Mrs. Anita Devi aged 28 years D.O.B. 26-04-1997 d/o Sh. Bali Ram, r/o Village Sari, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.) for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 21-05-2025 that they have solemnized their marriage with each other on 07-07-2020. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard should reach this court on or before 03-07-2025, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 03-06-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kasauli, District Solan (H.P.).

**In the Court of Sh. Ashok Kumar Assistant Collector Grade-II,
Sub-Tehsil Parwanoo, Distt. Solan H.P.**

Case No.
17/2025

Date of Institution _____
05-06-2025

Date of Decision _____
Fixed for 07-07-2025

Sh. Desh Raj s/o Sh. Niku Ram, r/o Village Nabon, Post Office Pratha, Sub-Tehsil Parwanoo, Distt. Solan, H.P.

Versus

General Public through: Gram-Panchayat Pratha, Sub-Tehsil Parwanoo, Distt. Solan, H.P.

Application Under Section 13(3) of H.P. Birth And Death Registration Act, 1969.

Sh. Desh Raj S/o Sh. Niku Ram, r/o Village Nabon, Post Office Pratha, Sub-Tehsil Parwanoo, Distt. Solan, H.P. has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that he was born on 14-05-1980 at r/o Nabon, P.O. Pratha Sub-Tehsil Parwanoo, but his birth could not be registered in the birth records of Gram-Panchayat Pratha, within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Secretary, Gram-Panchayat Pratha, for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having objection regarding registering the birth of Sh. Desh Raj S/o Sh. Niku Ram, r/o Village Nabon, Post Office Pratha, Sub-Tehsil Parwanoo, Distt. Solan, H.P in the records of GP Pratha, may file their objection in this court on or before 07-07-2025 failing which no objection shall be entertained later.

Given under my hand and seal on this 05th day of June, 2025.

Seal.

Sd/-

(ASHOK KUMAR),
Assistant Collector (2nd Grade)-cum-Naib Tehsildar,
Sub-Tehsil Parwanoo, District Solan, H.P.